अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCE, RISHIKESH

राजभाषा प्रकोष्ठ/HINDI CELL

क्रं. हिन्दी सेल/एम्स ऋषिकेश/का.आ./ 87 दिनांक: 27.10.2025

कार्यालय आदेश

विषय: राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (राजभाषा प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. ई-16/1/2025-हिंदी दिनांक 27 अक्टूबर, 2025 के माध्यम से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा जारी अ.शा.पत्र सं. 12019/04/2025-रा.भा. (का.2) दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 पर आधारित हैं, जिसमें निम्नलिखित दो प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

1. **राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन:** यह संज्ञान में आया है कि इस धारा के अंतर्गत उल्लिखित 14 प्रकार के दस्तावेज़ (जिनमें सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्ट, संविदाएं, करार, निविदा सूचनाएं आदि शामिल हैं) कई बार केवल अंग्रेजी में जारी किए जा रहे हैं। यह अनिवार्य है कि इन सभी दस्तावेज़ों को द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में एक साथ जारी किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि हिंदी रूपांतर, अंग्रेजी रूपांतर के ऊपर/पहले रहे।
2. **राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन:** यह भी देखा गया है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों (या हिंदी में हस्ताक्षर किए गए आवेदनों/अभ्यावेदनों) का उत्तर कई बार अंग्रेजी में दिया जा रहा है, जो कि नियम 5 का उल्लंघन है। यह अनिवार्य है कि हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों/आवेदनों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में ही दिया जाए।

अतः, संस्थान के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों का अक्षरशः एवं कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वे अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इन निर्देशों से अवगत कराएं और इनका अनुपालन सुनिश्चित करवाएं।

इन निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी, एम्स ऋषिकेश के अनुमोदन से जारी।

-मुकेश पाल 27/10/25

(मुकेश पाल)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
एम्स ऋषिकेश

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः-

1. समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ/अधिकारी/कर्मचारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश
2. वेबसाईट समिति- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
3. गार्ड फाइल

E-453789o/25

सं. ई-16/1/2025-हिंदी
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(राजभाषा प्रभाग)
*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 27 अक्तूबर, 2025

कार्यालय ज्ञापन

विषय: राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन

उपर्युक्त विषय के संबंध में उल्लेखनीय है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले 14 प्रकार के सभी दस्तावेज़ द्विभाषी रूप में जारी किए जाने अनिवार्य हैं। इसके साथ-साथ राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाने अपेक्षित हैं।

2. इस संबंध में सचिव, राजभाषा विभाग द्वारा 9 अक्तूबर, 2025 को जारी अ.शा.पत्र सं. 12019/04/2025-रा.भा. (का.2) प्रेषित किया गया है जिसमें उक्त दोनों प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। संदर्भित अ.शा.पत्र की प्रति इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न है।

3 तदनुसार, अनुरोध है कि इसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए और इसका पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डॉ राजेश कपूर)
उप निदेशक
दूरभाष: 011-23062555

संलग्न: यथोक्त

प्रति प्रेषित

1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्तशासी निकाय/संगठन
2 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी- ई-नोटिस बोर्ड के माध्यम से
3 सयुंक्त निदेशक (नीति), राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली- सूचनार्थ

अंशुली आर्या, आई.ए.एस.
सचिव
ANSHULI ARYA, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

अ.शा.पत्र सं.12019/04/2025-रा.भा.(का.2) दिनांक: 09 अक्तूबर, 2025

प्रिय महोदया / महोदय

संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रूप में हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के लिए राजभाषा अधिनियम,1963 तथा उसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 में विविध प्रावधान किए गए हैं।

According to Article 343(1) of the Constitution, Hindi is the official language of the Union. Various provisions have been made in the Official Languages Act, 1963 and the Official Languages Rules, 1976 framed thereunder to promote the progressive use of Hindi as the official language in Central Government Ministries/Departments/Subordinate Offices.

2. राजभाषा विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में मंत्रालयों/विभागों से अपेक्षित है कि वे इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें। ज्ञातव्य है कि धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले सभी 14 कागजात (संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्तियाँ, संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें एवं सरकारी कागजपत्र, संविदाएँ, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञापत्र, टेंडर नोटिस और टेंडर फार्म) द्विभाषी रूप में साथ-साथ ही जारी किए जाएं और जारी करते समय यह ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपान्तर अंग्रेजी रूपान्तर के ऊपर/पहले रहे।

It has come to the notice of the Department of Official Language that Section 3(3) of the Official Languages Act, 1963 is not being implemented by few Ministries/Departments. In this regard, the Ministries/Departments are required to ensure compliance with this Act. It is noteworthy that all 14 documents mentioned under Section 3(3) (Resolutions, General orders, Rules, Notifications, Administrative and other reports, Press Releases, Administrative and other reports to be laid before any House or Houses of Parliament, and Government Papers, Contracts, Agreements, Licenses, Permits, Tender Notices and Tender forms) should be issued simultaneously in bilingual form and mind while issuing them this should be kept in mind that the Hindi version is above/before the English version.

.....2

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

3. इसके अलावा यह भी संज्ञान में आया है कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में न देकर अंग्रेजी में दिया जा रहा है। नियम -5 एवं 7 के अंतर्गत सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई पत्र हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में प्राप्त हुआ है अथवा उस पर यदि हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हों तो उसका उत्तर हिंदी में ही दिया जाए।

Furthermore, it has also come to the notice that under Rule 5 of the Official Language Rules, 1976, letters received in Hindi are being replied to in English instead of Hindi. Also, under Rules 5 & 7, it should be ensured that if a letter is received in Hindi or any application, appeal or representation is received in Hindi or is signed in Hindi, then the reply should be given in Hindi only.

4. यद्यपि राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सद्भावना पर आधारित है एवं इन धाराओं के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है अपितु स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद यह अपेक्षित है कि इन सामान्य नियमों का पालन सुनिश्चित हो। मुझे विश्वास है कि उपरोक्त विषय की गरिमा को देखते हुए आप सुनिश्चित करेंगे कि आपके मंत्रालय/विभाग व अधीनस्थ कार्यालयों में इन नियमों का उल्लंघन न हो। मैं अनुगृहीत होउंगी यदि सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग तथा उपरोक्त दोनो पहलुओं की निगरानी आप अपने स्तर पर करेंगे।

Although the Official Language Policy is based on inspiration, encouragement, and goodwill and there is no provision for punishment for violation of these sections, after 75 years of independence, it is expected that these general rules are followed. I am confident that, given the sanctity of the above subject, you will ensure that these rules are not violated in your Ministry/Department and subordinate offices. I would be grateful if you would monitor the use of the Official Language in official works and the above both aspects at your level.

शुभकामनाओं सहित

Best Wishes/शुभेच्छु,

अ आर्या

(अंशुली आर्या)

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव / Secretaries of all Ministries/Departments